टी०ए० मिस केस सं० 256/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04.05.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विकेता **श्री गनेश चन्द्र सावैयॉ, पिता– स्व0 सिंगराय हो उर्फ हरिश चन्द्र सावैयॉ,** ग्राम– **गितिलपी,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **गितिलपी, थाना न0 – 580,** खाता न0– **46,** प्लॉट न0– **1683,** रकवा **0.12** एकड़ भूमि केता **कुन्ती कान्डेयांग, पति– गंगाराम कान्डेयांग** ग्राम– **पंचो टोला मोरासाई,** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में विकी के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिकी हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विकेता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 313, दिनांक 29.04.2019 के द्वारा कुर्सीनामा तथा विकेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एंव हल बैल खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को केता **कुन्ती कान्डेयांग,** पति– **गंगाराम कान्डेयांग** ग्राम– **पंचो टोला मोरासाई** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पोस **4,00,000/–(चार लाख) रुपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विकेता एवं केता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास अवशेष भूमि **2.50** एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण – पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विकेता **श्री गनेश चन्द्र सावैयॉ,** पिता– **स्व0 सिंगराय हो उर्फ हरिश चन्द्र सावैयॉ,** ग्राम– **गितिलपी, केता कुन्ती** कान्डेयांग, पति– **गंगाराम कान्डेयांग** ग्राम– **पंचो टोला मोरासाइ,** थाना **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **4,00,000/–(चार लाख) रुपये** में मौजा– **गितिलपी थाना न0 – 580,** खाता न0– **46,** प्लॉट न0– **1683,** रकवा **0.12 एकड़** जमीन बिकी करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिकी द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) 4/5 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 4/5/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner